न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

22.11.2022

भूमि सत्यापन अभिलेख सं0 343 /2022

आवेदक मो० अमरोज आलम, पिता–मो० फिरोज आलम, साकिन–जलवाबाद, वार्ड नं०–05, पोस्ट–कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
कोडरमा	333	55	559	02 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 30 / 11 /2022 को प्रस्तुत करें।

24/11/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

30.11.2022

अभिलेख उपस्थापित।

13.12.2022

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कोडरमा, थाना नं0–333, खाता सं0–55, प्लॉट सं0–559, कुल रकवा–69.79 डी0 भूमि जैनुल आवदीन के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–53, भाग सं0–09 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा0 खा0 वाद सं0–58/75–76 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2021–22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–42, दिनांक–12.11..2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा–कोडरमा, थाना नं0–333, खाता सं0–55, प्लॉट सं0–559, कुल रकवा–02 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–कोडरमा, थाना नं0–333, खाता सं0–55, प्लॉट सं0–559, कुल रकवा–02 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

13/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.01.07 12:58:29 +05:30
Location: 192.168.29.246